कार्यालय कलेक्टर एवं पदेन उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग जिला नरसिंहपुर म.प्र.

2274

पत्र क्र. /भू-अर्जन/2020

नरसिंहपुर, दिनांक 13/07/2020

कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण संभाग जबलपुर के प्रस्ताव अनुसार गाडरवारा चीचली मार्ग पर रेल्वे क्रांसिग क्रं. 258 पर रेल्वे ओव्अर ब्रिज व पहुंच मार्ग निर्माण हेतु (एनटीपीसी डिपाजिट वर्क अंतर्गत) समुचित सरकार मौजा इमलिया प.ह.नं. 93 तहसील गाडरवारा जिला नरसिंहपुर स्थित भूमि रकवा 0.745हे. भूमि का अर्जन करना चाहती है। समुचित सरकार अधिनियम, 2013 की धारा 4 के तहत गठित सामाजिक निर्धारण अध्ययन उपरांत म.प्र. भू-अर्जन पुर्नवास और पुर्नव्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2015 के नियम 5 के तहत प्रारूप ख में सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट ग में सामाजिक समाघात प्रबंधन योजना सहित प्रस्तुत की गई है। समुचित सरकार अधिनियम की धारा 7 के तहत समाघात निर्धारण रिपोर्ट का मूल्यांकन कराये जाने हेतु निम्नानुसार स्वतंत्र बहुशाखीय समूह का गठन करती है।

क्र.	विशेष समूह के सदस्यों का विवरण	संबंधित क्षेत्र	अन्य
1.	डॉ. प्रमिला कुशवाहा, सहा. प्राध्यापक, एम.आई.एम.टी. महाविद्यालय नरसिंहपुर	गैर सरकारी सामाजिक विज्ञानी	सदस्य
2.	श्रीमति रिंकी सिंह, सहा.प्राध्यापक, एम.आई.एम.टी. महाविद्यालय नरसिंहपुर	गैर सरकारी सामाजिक विज्ञानी	सदस्य
3.	श्री संजय बाबू घाटोडे	मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगरपालिका परिषद्, गाडरवारा	सदस्य
4.	अनुविभागीय अधिकारी राजस्व गाडरवारा	पुर्नव्यवस्थापन संबंधी विशेषज्ञ	अध्यक्ष
5.	तहसीलदार गाडरवारा	पुर्नवयस्थापन संबंधी विशेषज्ञ	सदस्य
6.	श्री आर.के.जैन, अनुविभागीय अधिकारी, लो.नि.वि., सेतु निर्माण उपसंभाग नरसिंहपुर	तकनीकी विशेषज्ञ	सदस्य

उपरोक्त स्वतंत्र बहुशाखीय विशेषज्ञ समूह, गठन की तारीख से दो माह के भीतर अपनी सिफारिशे प्रस्तुत करेगा।

विशेषज्ञ समूह को सामाजिक समाघात रिपोर्ट के अंकन हेतु आवश्यक व्यस्थाऐं एवं सहयोग कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग, सेतु निर्माण संभाग जबलपुर द्वारा किया जावेगा।

कलेक्टर एवं पदेन उप सचिव,
मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग